

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :-6/ज0गु0-101/2016 (खण्ड III)- 419(770) पटना, दिनांक- 02/03/2026
सेवा में,

प्रशासनिक पदाधिकारी,
प्रशासनिक एवं वित्तीय विंग,
बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन।

विषय- वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के गुणवत्ता प्रभावित टोलों/बसावटों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु योजना के निर्माण एवं पाँच वर्षों के रख-रखाव तथा परिचालन के साथ मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) (फ्लोराइड प्रभावित) निश्चय योजना के निर्माण एवं रख-रखाव तथा परिचालन हेतु राज्यांश मद से अनुसार ₹4.54259 लाख रुपये (चार लाख चौवन हजार दो सौ उनसठ रुपये) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति।

महाशय


उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के गुणवत्ता प्रभावित टोलों/बसावटों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु योजना के निर्माण एवं पाँच वर्षों के रख-रखाव एवं परिचालन के साथ मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना हेतु विभागीय पत्रांक-6/ग्रा0 ज0-1-101/16-691, दिनांक-03/03/16 द्वारा 7439.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

2. इस स्वीकृत योजना के अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा से अधियाचना प्राप्त है। प्राप्त अधियाचना के आलोक में उक्त प्रमंडल के अंतर्गत फ्लोराइड प्रभावित टोलों/बसावटों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु योजना के पाँच वर्षों के रख-रखाव तथा परिचालन हेतु कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा को बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0एल0 खाता में NRDWP के राज्यांश मद की उपलब्ध निधि से निम्न तालिका के अनुसार ₹4.54259 लाख रुपये (चार लाख चौवन हजार दो सौ उनसठ रुपये) मात्र मात्र की राशि पी0एल0 खाते के माध्यम से विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0 सं0	प्रमंडल का नाम	एकरारनामा संख्या	राज्यांश मद में स्वीकृत राशि	राज्यांश मद में अब तक विमुक्त राशि	सामान्य	अनु0 जाति	विमुक्त राशि (लाख रु0 में)	
							अंको में	शब्दों में
1	शेखपुरा	MBD-06/20-21	1212.46875	1185.75445	3.00	1.54259	4.54259	चार लाख चौवन हजार दो सौ उनसठ रुपये मात्र।

अनुरोध है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के राज्यांश मद से कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा को उक्त राशि पी0एल0 खाता के माध्यम से विमुक्त की जाय।

विश्वसभाजन



(दया शंकर प्रसाद)
मुख्य अभियंता (दक्षिण बिहार)

1. प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 - i. बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0एल0 खाता में NRDWP के राज्यांश मद की उपलब्ध निधि से विमुक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर किया जाए।
 - ii. इस योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत योजना की राशि तक सीमित रहेगा तथा किसी भी हालत में इस राशि का व्यय अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।
 - iii. इस राशि का उपयोग शीघ्र सुनिश्चित कर व्यय की गई राशि एवं उससे कृत कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
2. प्रतिलिपि-सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, के आप्त सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रतिलिपि-सचिव, के प्रधान आप्त सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रतिलिपि-क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, प्रक्षेत्र-भागलपुर/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. प्रतिलिपि-मुख्य अभियन्ता (उत्तरी बिहार/दक्षिणी बिहार)/संयुक्त सचिव (प्र0को0)/बजट पदाधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/कार्यपालक अभियन्ता (मो0-2)/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल संख्या-10/आई0 टी0 मैनेजर (बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु)/रोकड़पाल, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/प्रशाखा पदाधिकारी-6/कार्यवाहक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Handwritten signature)
24/3/26

(दया शंकर प्रसाद)
मुख्य अभियंता (दक्षिण बिहार)